समक्ष :न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं.   /2015/निगरानी   नि0/3383/I/15

1–विजितेन्द्र सिंह अभिलाख' सिंह,
निवासी ग्राम सारसल्ला तह. कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.
2–धर्मपाल 3–राजवीर पुत्रगण कनीराम
निवासी ग्राम सारसल्ला तह.कराहल
4–लेखराज पुत्र मांगीलाल निवासी
सावडी तहसील कराहल जिला श्योपुर
................निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

कलेक्टर जिला श्योपुर
...........गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

श्री राहुल दुबे द्वारा आज दि. 19-10-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19/10/15
शाखा प्रभारी (रा.मं.)

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व कलेक्टर महोदय श्योपुर के ग्राम कैलौर त.कराहल के बंदोबस्त अमल को रोकते हुए जॉच के आदेश क्रमांक रीडर/2015 दिनांक 05.10.15

माननीय न्यायालय,

निरानीकर्तागण/आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार पेश है:–

निगरानी का संक्षिप्त सार :–

यह कि जिला श्योपुर की तहसील कराहल के अंतर्गत ग्राम कैलोर में म.प्र.शासन अर्थात कलेक्टर महोदय श्योपुर के द्वारा आदेशित करने पर अधीकक्ष भूअभिलेख जिला श्योपुर के द्वारा राजस्व वर्ष 2013–14 बंदोबस्त की कार्यवाही की गई थी। उक्त बंदोबस्त कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके पर बंदोबस्त अधिकारी/कर्मचारियों ने बंदोबस्त कार्य किया है, कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् कार्यालय अधीक्षक भूअभिलेख जिला श्योपुर द्वारा अधिकार अभिलेख के

क्रमंश:............2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3383/I/2015 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-2-16	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक रीडर /2015 दिनांक 05.10.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत् पेश की गयी है। 2– इस प्रकरण में जिला श्योपुर की तहसील कराहल के अन्तर्गत ग्राम कैलोर म.प्र. शासन अर्थात् कलेक्टर श्योपुर के द्वारा आदेशित करने पर अधीक्षक भू–अभिलेख जिला श्योपुर के द्वारा राजस्व वर्ष 2013–14 में बंदोबस्त की कार्यवाही की गयी थी। उक्त बंदोबस्त कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये मौके पर बदोबस्त अधिकारी/कर्मचारियों ने बदोबस्त कार्य किया है कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अधीक्षक भूम–अभिलेख जिला श्योपुर द्वारा अधिकार अभिलेख के प्रमाणिकरण का सूचना पत्र दावा प्रति लेने हेतु दिनांक 03.09.2014 को जारी किया जा चुका है। सूचना प्रकाशन के अनुसार नियत दिनांक तक किसी भी ग्रामवासी एवं कृषकों की ओर से कोई आपत्ति न आने पर बंदोबस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी। परन्तु ग्राम के मौजा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की मनमानी के कारण उक्त बंदोबस्त को कम्प्यूटर खसरे में नहीं चढाया गया। तथा कृषकों को बंदोबस्त अनुसार अधिकार अभिलेख, ऋण पुस्तिका भी नहीं बांटी गयी। जिसके कारण ग्राम कैरका सांवडी सारसल्ला, भोजका इत्यादि ग्राम आते है वे कृषकगण का भी दुखी है क्योंकि बंदोबस्त अनुसार कम्प्यूटर खसरे एवं नवीन भू–अधिकार पुस्तिका में दुरूस्ती दर्ज नहीं हो पायी है। जिसे प्रभावित किसान खाद,बीज एवं के.सी.सी. लेने में परेशानी उत्पन्न कर रहे है इस	

संबंध में प्रभावित किसानों ने श्योपुर कलेक्टर से लेकर तहसीलदार कराहल तक अपनी समस्या से कई बार अवगत कराया है। पूर्व कलेक्टर श्योपुर को इस संबंध में आवेदन दिये परन्तु अभी तक उक्त बंदोबस्त का न तो कम्प्यूटर में अमल करवाया और न ही भू–अधिकार पुस्तिको को वितरण करवाया वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देने के उपरान्त कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। दिनांक 06.10.2015 को दैनिक समाचार पत्रों मे समाचार प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक वृत 2 गोरस एवं पटवारी हल्का नं. 13 तहसील कराहल के द्वारा ग्राम केलोर अर्थात् संबंधित ग्राम सारसल्ला, भौजका, सावडी कैरका में किये गये बंदोबस्त को निरस्त कराने हेतु बिना मौके एवं रिकार्ड की जांच किये प्रतिवेदन कलेक्टर श्योपुर को भेजा है। कलेक्टर द्वारा बिना किसी को सूचना दिये चुपचाप एक पक्षीय रूप से बंदोबस्त को निरस्त करने के उद्देश्य को दिनांक 05. 10.2015 को एक आदेश जारी कर शासन की ओर से पूर्ण किये गये विधिक बंदोबस्त की जांच करने के आदेश दिये है। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया कि बंदोबस्त के दौरान की गयी कार्यवाही के पश्चात् आवेदकगण को भू–अधिकार पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवायी गयी है ओर न ही बंदोबस्त की प्रवृष्टि कम्प्यूटर खसरे में की गयी है। उक्त कार्यवाही न किये जाने की दशा में आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 8696/2015 प्रस्तुत की गयी थी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 से निराकृत की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने एवं कलेक्टर श्योपुर को आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2015 निरस्त कर संबंधित ग्राम कैलोर एवं इससे लगे ग्रामों में किये गये बंदोबस्त को तत्काल् कम्प्यूटर खसरे में दर्ज कराकर आवेदकगण को खसरा, खतौनी एवं

भू–अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में म.प्र. शासन के अभिभाषक को सुना गया एवं उन्होने बताया कि उपरोक्त प्रकरण में कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा वैधानिक कार्यवाही की है ऐसी स्थिति में इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अंत में यह कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिये।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं निगरानीार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रमाणित है कि ग्राम कैलोर में जो बंदोबस्त वर्ष 2013–14 में किया गया है वह शासन के आदेशानुसार तत्कालीन कलेक्टर के आदेश के उपरान्त अधीक्षक भू–अभिलेख जिला श्योपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन कर मौके के अनुसार कराया गया है बंदोबस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर अधिसूचना भी प्रकाशित की गयी है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक/मौजा पटवारी के प्रतिवेदन के पर से बंदोबस्त कार्यवाही को निरस्त करने ओर जॉच करने के आदेश देना विधिक संगत नही है। कृषकगण बंदोबस्त के अनुसार बंदोबस्त की प्रवृष्टि कम्प्यूटर खसरे में दर्ज कराने की मांग कर रहे है ओर बंदोबस्त के अनुसार भू–अधिकार की पुस्तिका की मांग कर रहे है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 8696/2015 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें आदेश दिनांक 06.01.2016 से यह निर्देश दिये गये थे कि 6 सप्ताह में संबंधित प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही की जाये। प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार करने के पश्चात् निर्देश दिये जाते है कि वह बंदोबस्त वर्ष 2013–14 के अनुसार कम्प्यूटर खसरे में दर्ज करवाये एवं आवेदकगण को खसरा, भू–अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराये, यह आदेश आवेदकगण पर प्रभावशील होगा।

उभय पक्ष सूचित हो।

सदस्य